

केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में, रिजर्व बैंक का अधिदेश लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाज़ार विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके से सरकारी बाज़ार उधार कार्यक्रम का प्रबंधन करना है। रिजर्व बैंक ने व्यवस्थित बाज़ार स्थितियों के उद्भव को बनाए रखने के लिए उपायों के संयोजन को नियोजित किया। वर्ष के दौरान जी-सेक प्रतिफल में वृद्धि होने के बावजूद, संपूर्ण बकाया ऋण स्टॉक पर भारित औसत कूपन में कमी आई। प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता अवधि पिछले वर्ष के 14.49 वर्ष से बढ़कर 16.99 वर्ष हो गई। वर्ष के दौरान, खुदरा प्रत्यक्ष योजना का शुभारंभ एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी – जो खुदरा निवेशकों के लिए जी-सेक बाज़ार तक सीधे पहुंच प्रदान करने और जी-सेक बाज़ार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

VII.1 रिजर्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के अनुसार केंद्र सरकार, और इस अधिनियम की धारा 21ए में किए गए प्रावधानों के अनुसार द्विपक्षीय करारों के अनुसरण में 28 राज्य सरकारों और दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के घरेलू ऋण के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) में की गई व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को तीन महीने तक की अविध के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) के रूप में अल्पावधि ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम किया जा सके।

VII.2 पिछले दो वर्षों के दौरान, सरकारों की वित्तीय ज़रूरतें बढ़ रही हैं क्योंकि देश कोविड-19 को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहा है जिससे सरकारों का ऋण विश्व स्तर पर उच्च स्तर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। बाज़ार उधारी पर अत्यधिक निर्भरता सभी देशों में आम प्रवृत्ति थी। जबकि उधार की लागत में सामान्य रूप से गिरावट आई, जो केंद्रीय बैंकों के मात्रात्मक सुलभता के रुख और कम नीतिगत ब्याज दरों के प्रभाव को दर्शाता है, जोखिम से बचाव में उल्लेखनीय वृद्धि और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए परिणामी वरीयता ने 2020-21 के बाद से इन प्रतिभूतियों की बड़ी मांग को जन्म दिया। वैश्विक रुझान के अनुरूप, भारत सरकार (भारत सरकार) ने भी महामारी की चुनौतियों का सामना

किया और स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी खर्च में वृद्धि की। उसी समय, आर्थिक गतिविधियों पर महामारी के प्रभाव के कारण राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आई। नतीजतन, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है, जिससे 2020-21 और 2021-22 के दौरान उधार कार्यक्रम में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है ताकि प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति समर्थन प्रदान किया जा सके और महामारी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित सहायता प्रदान की जा सके। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान सरकारी उधारी में कमी आई, लेकिन कोविड-पूर्व वर्ष यानी 2019-20 की तुलना में यह अधिक रही। प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा उदार मौद्रिक नीति को समाप्त करने, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के कारण 2021-22 के दौरान मध्यम से दीर्घकालिक प्रतिफल पर कुछ दबाव पड़ा। रिजर्व बैंक को उच्च मुद्रास्फीति और अतिरिक्त चलनिधि की क्रमिक वापसी की अपेक्षाओं से प्रतिफल पर दबाव के आलोक में, साथ ही सरकार द्वारा उच्च बाज़ार उधार को गैर-विघटनकारी ढंग से संपादित करने को ध्यान रखते हुए, अपनी ऋण प्रबंधन कार्यनीति की निरंतर समीक्षा और अनुकूलन करना था।

VII.3 भारतीय सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाज़ार को प्रभावित करने वाली वैश्विक और घरेलू प्रतिकूलताओं के बावजूद, रिजर्व बैंक ने केंद्र और राज्य सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में लागत इष्टतमीकरण, जोखिम शमन और बाज़ार

विकास के उद्देश्यों के साथ गैर-विघटनकारी तरीके से बाज़ार उधारी सुनिश्चित की। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि ऋण संरचना स्थिर रहे। वर्ष 2021-22 के दौरान, 'खुदरा प्रत्यक्ष योजना' का शुभारंभ एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही। यह योजना जी-सेक बाज़ार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि खुदरा निवेशकों को जी-सेक बाज़ार तक सीधी पहुंच प्रदान करती है।

VII.4 शेष अध्याय को तीन भागों में बांटा गया है। भाग 2 में 2021-22 की कार्य-योजना के कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति दर्शायी गयी है। भाग 3 2022-23 में की जाने वाली प्रमुख पहलों के संबंध में है, और अंतिम भाग में सारांश है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VII.5 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- भारत सरकार के प्रतिभूति बाज़ार में चलनिधि बढ़ाने और नए सिरे से निर्गम जारी करने की सुविधा के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम के साथ-साथ कैलेंडर-चालित, नीलामी-आधारित स्विच और वापस खरीद परिचालन के माध्यम से ऋण का समेकन (पैराग्राफ VII.6 - VII.9);
- खुदरा निवेशकों को 'खुदरा प्रत्यक्ष' योजना के तहत सीधे रिज़र्व बैंक में गिल्ट प्रतिभूति खाता खोलने की अनुमति देना ताकि सरकारी प्रतिभूति बाज़ार तक पहुंच में सुधार के माध्यम से अधिक खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके (पैराग्राफ VII.10);
- बाज़ार निर्माण में प्राथमिक डीलरों (पीडी) की भूमिका को बढ़ाकर सरकारी प्रतिभूति बाज़ार की समग्र चलनिधि में सुधार (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.10];
- बाज़ार के प्रभावी नियंत्रण और निगरानी की सुविधा के लिए सीधे गिल्ट खाता स्तर पर प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार निपटान को सक्षम करने के अलावा

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के मौजूदा बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की खातिर गिल्ट स्तर के डेटा लेने के लिए ई-कुबेर में एक मॉड्यूल विकसित करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.11];

- गिल्ट मॉड्यूल के विकास और गिल्ट खाता निपटान के लिए सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) और इकाई सहायक सामान्य खाता-बही (सीएसजीएल) लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा (पैराग्राफ VII.12);
- मूल्य मुक्त हस्तांतरण (वीएफटी) दिशानिर्देशों की समीक्षा (पैराग्राफ VII.13);
- ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन की बेहतर प्रणाली को शामिल करने के लिए भारत सरकार के बचत बांड पर परिचालन दिशानिर्देशों की समीक्षा (पैराग्राफ VII.14);
- डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने और सार्वजनिक ऋण पर डेटा को समेकित करने के लिए सतत प्रयास (पैराग्राफ VII.15);
- खुले बाज़ार उधार (ओएमबी) के लिए राज्यों को भारत सरकार की सहमति की स्वचालित निगरानी - बेहतर नियंत्रण, निगरानी और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उद्देश्यों के लिए इन सहमति को रिकॉर्ड करने के लिए ई-कुबेर में एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित करना (पैराग्राफ VII.16);
- पंजीकृत ब्याज और मूल प्रतिभूतियों के अलग व्यापार (स्ट्रिप्स) का कार्यान्वयन/ राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के लिए पुनर्संरचना सुविधा [उत्कर्ष] (पैराग्राफ VII.17);
- राज्य के कोषागारों को भौतिक रूप में जारी क्षतिपूर्ति बांडों की सर्विसिंग को अलग करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.18];

- विदेशी केंद्रीय बैंकों (एफसीबी) के साथ लेनदेन के लिए विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) मॉड्यूल का परिचालन ताकि एक सुरक्षित तरीके से एफसीबी के निवेश और विनिवेश निर्देशों को सुगम बनाया जा सके (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.19]; और
- नकदी और ऋण प्रबंधन में विवेकपूर्ण प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.20]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VII.6 केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ऋण प्रबंधक के रूप में रिजर्व बैंक की भूमिका एक स्थिर ऋण संरचना सुनिश्चित करते हुए लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और घरेलू ऋण बाजार के विकास के उद्देश्यों के साथ गैर-विघटनकारी तरीके से बाजार उधार कार्यक्रम को पूरा करने पर केंद्रित है। 2021-22 के दौरान, ऋण प्रबंधन कार्यनीति के उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए बाजार उधार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं और घरेलू और वैश्विक आर्थिक और वित्तीय बाजारों पर इसके प्रभावों के बावजूद, रिजर्व बैंक ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सकल बाजार उधार ₹18,29,008 करोड़ का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.7 प्रतिशत कम था।

VII.7 रिजर्व बैंक ने पुनर्निर्गमों के माध्यम से निष्क्रिय समेकन और वापसी-खरीद/स्विच के माध्यम से सक्रिय समेकन की अपनी नीति को जारी रखा, जिसने मोचन के लिए जमा को कम करने के लिए सरकारी ऋण की परिपक्वता संरचना को बदलने में भी मदद की। पिछले वर्ष के 178 निर्गमों (91.0 प्रतिशत) में से

162 पुनः निर्गमों की तुलना में 2021-22 के दौरान जी-सेक के 154 निर्गमों में से 142 पुनः निर्गम (92.2 प्रतिशत) थे।

VII.8 आम तौर पर हर महीने में एक बार दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के साथ अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति के स्विचिंग के माध्यम से सक्रिय रूप से सुदृढीकरण किया गया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में 109.6 प्रतिशत स्विच को जो कि 197,185 करोड़ रुपये की राशि के थे 2021-22 के दौरान पूरे किए गए, जबकि ये पिछले वर्ष में 1,53,418 करोड़ रुपये थे।

VII.9 2021-22 के दौरान, 2 से 40 वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) तक की नई प्रतिभूतियां विभिन्न परिपक्वता बकेट में विभिन्न संस्थागत निवेशकों की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से जारी की गईं। वर्ष के दौरान 7 वर्ष और 13 वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) के अस्थायी दर बांड (एफआरबी) भी जारी किए गए। 2021-22 के दौरान कुल निर्गमों में एफआरबी की हिस्सेदारी एक साल पहले के 6.5 प्रतिशत की तुलना में 7.8¹ प्रतिशत थी।

VII.10 जी-सेक बाजार के विकास में हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रिजर्व बैंक-खुदरा प्रत्यक्ष (आरबीआई-आरडी) योजना का शुभारंभ था जो निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर जी-सेक तक आम आदमी की पहुँच बनाता है। यह योजना खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए सर्व-सेवा समाधान प्रदान करती है (बॉक्स VII.1)। योजना के शुभारंभ के बाद, प्राथमिक व्यापारियों के लिए खुदरा प्रत्यक्ष योजना का समर्थन करने के लिए एक बाजार बनाने की योजना की घोषणा की गई थी।

VII.11 गिल्ट खाता मिररिंग और गिल्ट खाता स्तर पर ई-कुबेर में निपटान से संबंधित कार्य के कार्यान्वयन को चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया।

¹ स्विच नीलामियों के माध्यम से किए गए ₹58,057.48 करोड़ के एफआरबी निर्गम शामिल नहीं हैं।

बॉक्स VII.1

आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना

रिजर्व बैंक, भारत सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में, निवेशकों की भागीदारी को व्यापक बनाने सहित सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाज़ार के विकास में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। जी-सेक में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में, खुदरा निवेशकों द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से रिजर्व बैंक के साथ अपना गिल्ट प्रतिभूति खाता ('खुदरा प्रत्यक्ष') खोलने की सुविधा के साथ प्राथमिक और द्वितीयक दोनों सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में पहुंच में आसानी और सुधार के लिए 5 फरवरी, 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण में 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष' सुविधा की घोषणा की गई थी।

इस घोषणा के अनुसरण में, 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष' योजना, जो व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए समग्र-सेवा समाधान है, 12 जुलाई, 2021 को जारी की गई थी। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष पोर्टल (<https://rbirtaildirect.org.in>) को योजना के परिचालन के लिए 12 नवंबर, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वर्चुअल मोड में लॉन्च किया गया था। इस योजना के शुभारंभ के साथ, भारत सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर सकता है और खुदरा निवेशकों को ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले कुछ चुनिंदा देशों में से एक बन गया है।

इस योजना के तहत, खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को एक ऑनलाइन पोर्टल (<https://rbirtaildirect.org.in>) का उपयोग करके रिजर्व बैंक के

साथ एक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (आरडीजी) खाता खोलने की अनुमति है। निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करके निवेश किया जा सकता है:

- (i) सरकारी प्रतिभूतियों का प्राथमिक निर्गमन: निवेशक केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (खज़ाना बिलों सहित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में भाग लेने के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार अपनी बोली लगा सकते हैं; और निवेशक साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का अभिदान कर सकते हैं; और
- (ii) द्वितीयक बाज़ार: निवेशक एनडीएस-ओएम² ('विषम लॉट' और 'कोट के लिए अनुरोध' भाग) पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं।

इंटरनेट-बैंकिंग या एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से बचत बैंक खाते का उपयोग करके लेनदेन (प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार लेनदेन दोनों) के लिए भुगतान आसानी से किया जा सकता है। निवेशक सहायता सुविधा टेलीफोन, ईमेल के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। निवेशक सेवाओं में लेनदेन और शेष विवरण, नामांकन सुविधा, प्रतिभूतियों की गिरवी या ग्रहणाधिकार और उपहार लेनदेन के प्रावधान शामिल हैं। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए एक सुरक्षित, सरल, प्रत्यक्ष और सरक्षित मंच प्रदान करना है।

स्रोत : आरबीआई।

VII.12 एसजीएल और सीएसजीएल दिशानिर्देशों को 22 सितंबर, 2021 को संशोधित किया गया था ताकि दिशानिर्देशों में वीएफटी की परिभाषा में एकरूपता लाया जा सके और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित परिचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके।

VII.13 वीएफटी लेनदेन की परिभाषा में स्पष्टता लाने और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करने के लिए वीएफटी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था। संशोधित दिशानिर्देश 5 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए थे।

VII.14 ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन की बेहतर प्रणाली को शामिल करने के लिए बचत बांड

पर परिचालन दिशानिर्देशों की समीक्षा वर्तमान में जांच के अधीन है।

VII.15 विभिन्न स्रोतों से सार्वजनिक ऋण डेटा को प्रभावी ढंग से समेकित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए।

VII.16 ओएमबी के लिए राज्यों को भारत सरकार की सहमति की स्वचालित निगरानी के लिए मॉड्यूल का विकास प्रगति पर है और 2022-23 की पहली तिमाही तक इसके चालू होने की उम्मीद है।

VII.17 फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफबीआईएल) स्ट्रिप्स के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शून्य

² तयशुदा लेनदेन प्रणाली – क्रम मिलान।

कूपन प्रतिफल वक्र (जेडसीवाईसी) विकसित कर रहा है।

VII.18 इन बांडों को जारी करने वाली राज्य सरकारों को उनके कोषागार के माध्यम से मुआवजा बांड³ की भविष्य की सर्विसिंग सौंपने के संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया था। दो राज्य सरकारों, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने क्षतिपूर्ति बांड की सर्विसिंग के लिए अपनी सहमति प्रदान की है।

VII.19 एफसीबी से निवेश और विनिवेश निर्देश को सुगम बनाने के लिए एफसीबी के साथ सुरक्षित तरीके से लेनदेन के लिए स्विफ्ट मॉड्यूल का परिचालन विकास की प्रक्रिया में है।

VII.20 वर्ष के दौरान सात राज्यों अर्थात् केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय और बिहार के लिए नकदी और ऋण प्रबंधन के विवेकपूर्ण उपायों के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभाग ने छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य स्तर के राज्य वित्त अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी संभाला।

प्रमुख गतिविधियां

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.21 2021-22 के दौरान, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से भारत सरकार की सकल बाजार उधारी पिछले वर्ष की तुलना में 17.7 प्रतिशत कम थी। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 24.5 प्रतिशत कम हुआ। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाजार उधार ने केंद्र सरकार के संशोधित सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) का 54.2 प्रतिशत वित्तपोषित किया, जबकि पिछले वर्ष में यह 62.9 प्रतिशत था। दिनांकित प्रतिभूतियों और टी-बिलों के माध्यम से निवल बाजार उधार

सारणी VII.1: केंद्र सरकार की निवल बाजार उधारी

(₹ करोड़)

मदें	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
निवल बाजार उधारी (i to iv)	4,58,337	5,11,500	13,75,654	9,29,351
i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ@	4,22,737	4,73,972	11,43,114	8,63,103
ii) 91-दिवसीय टी-बिल	-46,542	-9,600	10,713	45,439
iii) 182-दिवसीय टी-बिल	32,931	38,354	-18,743	71,252
iv) 364- दिवसीय टी-बिल	49,211	8,774	2,40,570	-50,444

@: वापसी-खरीद/स्विच के समायोजन के बिना। वापसी-खरीद/स्विच के समायोजन के बाद, निवल बाजार उधारी 2021-22 के दौरान ₹9,29,060 करोड़, 2020-21 में ₹11,46,739 करोड़, 2019-20 में ₹4,73,990 करोड़ और 2018-19 में ₹4,23,269 करोड़ रही।
स्रोत: आरबीआई

पिछले वर्ष की तुलना में 32.4 प्रतिशत कम हो गया (सारणी VII.1)।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.22 वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमों के भारत औसत प्रतिफल (डबल्यूएवाई) में पिछले वर्ष के डबल्यूएवाई की तुलना में 49 आधार अंक (बीपीएस) की वृद्धि हुई। हालांकि, संपूर्ण बकाया ऋण स्टॉक पर भारत औसत कूपन में 16 बीपीएस की कमी आई। प्राथमिक निर्गमों की भारत औसत परिपक्वता (डबल्यूएएम) (स्विच नीलामी के अंतर्गत निर्गमों को छोड़कर) अवधि पिछले वर्ष के 14.49 वर्ष से बढ़कर 16.99 वर्ष हो गई। बकाया ऋण की भारत औसत परिपक्वता (डबल्यूएएम) 11.31 वर्ष से बढ़कर 11.71 वर्ष हो गई (सारणी VII.2)।

VII.23 पीडी पर आंशिक हस्तांतरण 2020-21 में ₹1,30,562 करोड़ के पंद्रह मामलों की तुलना में 2021-22 के दौरान सत्रह मामलों में हुआ, जिसकी राशि ₹97,938 करोड़ थी। बाजार की स्थिति के कारण पिछले वर्ष की कुल अधिसूचित राशि 39,000 करोड़ रुपये के लिए चार मामलों की तुलना में इस वर्ष 99,000

³ जर्मीदारी उन्मूलन और भूमि सुधार योजनाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मुआवजा बांड जारी किए जाते हैं।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाजार ऋण - एक रूपरेखा*

(प्रतिशत में प्रतिफल/वर्षों में परिपक्वता)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में कटौती की सीमा [^]			वर्ष के दौरान जारी [^]			बकाया स्टॉक [#]	
	5 वर्षों के अंदर	5-10 वर्षों में	10 साल से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता की सीमा @	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015-16	-	7.54-8.10	7.59-8.27	7.88	6-40	16.03	10.50	8.08
2016-17	6.85-7.46	6.13-7.61	6.46-7.87	7.15	5-38	14.76	10.65	7.99
2017-18	7.23-7.27	6.42-7.48	6.68-7.67	6.97	5-38	14.13	10.62	7.76
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.77	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21	3.79-5.87	5.15-6.53	4.46-7.19	5.79	1-40	14.49	11.31	7.27
2021-22	4.07-5.10	4.04-6.78	4.44-7.44	6.28	1-40	16.99	11.71	7.11

-: लागू नहीं। @: निर्गमों और आंकड़ों की अवशिष्ट परिपक्वता को पूर्णांकित किया जाता है।

*: विशेष प्रतिभूतियों को छोड़कर। ^: रिचव नीलामी को छोड़कर। #: रिचव नीलामी सहित।

स्रोत: आरबीआई


करोड़ रुपये की कुल अधिसूचित राशि के लिए नौ मामलों पर कोई बोली स्वीकार नहीं की गई थी।

VII.24 प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति सामान्यीकरण उपायों की अपेक्षाओं, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और प्रणालीगत चलनिधि को पुनर्संतुलित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक के चलनिधि उपायों में परिवर्तन की अपेक्षाओं के कारण वर्ष के दौरान जी-सेक प्रतिफल में वृद्धि हुई। मार्च 2021 के अंत में 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल 6.18 प्रतिशत से 66 आधार अंक बढ़कर मार्च-2022 के अंत में 6.84 प्रतिशत हो गया। 2021-22 की पहली तिमाही के पहले दो महीनों में, रिजर्व बैंक द्वारा संचालित जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) और खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के कारण प्रतिफल में गिरावट आई।

हालांकि, मई के लिए अपेक्षित सीपीआई मुद्रास्फीति के आंकड़ों से अधिक जारी होने और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण जून 2021 में प्रतिफल में गिरावट आंशिक रूप से प्रति संतुलित थी। पहली तिमाही में 10-वर्षीय प्रतिफल में 13 बीपीएस की कमी आई। 2021-22 की दूसरी तिमाही में, जून और जुलाई के लिए अपेक्षित सीपीआई मुद्रास्फीति की तुलना में कम मुद्रास्फीति होने के कारण जी-सेक प्रतिफल में शुरुआत में नरमी

देखी गई। हालांकि, चलनिधि पुनर्संतुलन के लिए परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामियों की घोषणा के बाद प्रतिफल प्राप्त हुआ। दूसरी तिमाही में 10-वर्षीय प्रतिफल में 17 बीपीएस की वृद्धि हुई। 2021-22 की तीसरी तिमाही में प्रतिफल में और अधिक वृद्धि देखी गई, जिसमें 10-वर्षीय प्रतिफल में 23 आधार अंकों की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, वीआरआरआर नीलामियों में उच्च कट-ऑफ और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि से प्रेरित था। 2021-22 की चौथी तिमाही में, 2022-23 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित से अधिक बाजार उधारी की घोषणा, रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा नीति सामान्यीकरण उपायों के मद्देनजर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिफल में वृद्धि से 10-वर्षीय प्रतिफल में 39 आधार अंकों की वृद्धि हुई (चार्ट VII.1)।

VII.25 2021-22 के दौरान, बाजार उधार का लगभग 58.2 प्रतिशत पिछले वर्ष में 49.0 प्रतिशत की तुलना में 10 वर्ष और उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से उठाया गया था। इसके



अलावा, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों जैसे लंबी अवधि के निवेशकों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 30-वर्षीय और 40-वर्ष की अवधि की प्रतिभूतियों को जारी/पुनः जारी किया गया था (सारणी VII.3)

खज़ाना बिल

VII.26 केंद्र सरकार की अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को टी-बिल जारी करने के माध्यम से पूरा किया जाता है।

टी-बिल (91, 182 और 364 दिन) के माध्यम से सरकार की निवल अल्पकालिक बाज़ार उधारी 2021-22 के दौरान घटकर ₹66,248 करोड़ रह गई, जो पिछले वर्ष में ₹2,32,540 करोड़ थी।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.27 वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों (टी-बिल और एसडीएल सहित) के सबसे बड़े धारक बने रहे, जिनका मार्च 2022 के अंत तक 37.4 प्रतिशत हिस्सा था, इसके बाद बीमा कंपनियों (25.6 प्रतिशत), रिज़र्व बैंक (10.6 प्रतिशत) और भविष्य निधि (9.6 प्रतिशत) का स्थान था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी 1.0 प्रतिशत थी। सरकारी प्रतिभूतियों (टी-बिल और एसडीएल सहित) के अन्य धारकों में म्यूचुअल फंड, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान (एफआई) और कॉरपोरेट शामिल हैं।

प्राथमिक डीलर (पीडी)

VII.28 मार्च 2022 के अंत में पीडी की संख्या 21 [14 बैंक-पीडी और 7 स्टैंडअलोन पीडी (एसपीडी)] थी। पीडी के पास दिनांकित सरकारी प्रतिभूति की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी का अधिदेश प्राप्त है, जबकि उनके पास खज़ाना बिलों (टी-बिल)/नकद प्रबंधन बिलों (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामी के संबंध में बोली प्रतिबद्धता और सफलता अनुपात हासिल

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करना - परिपक्वता का स्वरूप

(राशि करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2019-20		2020-21		2021-22	
	जुटाई गयी राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गयी राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गयी राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्षों से कम	1,46,000	20.6	3,91,990	28.6	2,29,255	20.3
5 - 9.99 वर्ष	1,79,000	25.2	3,07,405	22.4	2,41,865	21.5
10 -14.99 वर्ष	1,37,000	19.3	3,76,766	27.5	3,20,639	28.4
15 -19.99 वर्ष	15,000	2.1	-	-	-	-
20 वर्ष और अधिक	2,33,000	32.8	2,94,162	21.5	3,35,621	29.8
कुल	7,10,000	100.0	13,70,324	100.0	11,27,382	100.0

-: शून्य.

टिप्पणी: कॉलम में दिए गए अंकों को संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कुल योग में नहीं भी जोड़ा जा सकता है।

स्रोत: आरबीआई।

करने का लक्ष्य भी है। प्राथमिक डीलरों ने व्यक्तिगत रूप से टी-बिल की प्राथमिक नीलामियों में निर्धारित न्यूनतम सफलता अनुपात 40 प्रतिशत हासिल किया, जिसका औसत सफलता अनुपात 2021-22 की पहली छमाही में 62.5 प्रतिशत और 2021-22 की दूसरी छमाही में 62.3 प्रतिशत था। टी-बिलों/सीएमबी की नीलामी में प्राथमिक व्यापारियों की हिस्सेदारी 2021-22 के दौरान 71.4 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष यह 68.9 प्रतिशत थी। 2021-22 के दौरान दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी करने के लिए जीएसटी को छोड़कर, प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किया गया कमीशन पिछले वर्ष के ₹454.64 करोड़ की तुलना में ₹412.67 करोड़ था।

सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना


VII.29 रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 2021-22 के दौरान ₹12,991 करोड़ (27 टन) की कुल राशि के लिए एसजीबी के दस किश्त जारी किए थे। नवंबर 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से इस योजना के माध्यम से कुल ₹38,693 करोड़ (90 टन) जुटाए गए हैं।

केंद्र सरकार का नकद प्रबंधन

VII.30 केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 की शुरुआत ₹2,37,572 करोड़ के नकद शेष के साथ की। केंद्र के अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) की सीमा 2021-22 की पहली छमाही के लिए ₹1,20,000 करोड़ और 2021-22 की दूसरी छमाही के लिए ₹50,000 करोड़ निर्धारित की गई थी। केंद्र सरकार ने 2021-22 के दौरान डबल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट (ओडी) का सहारा नहीं लिया, जबकि पिछले वर्ष में 63 दिन डबल्यूएमए और 9 दिनों के ओडी थे। कोविड-19 महामारी से संबंधित चल रही अनिश्चितताओं के बावजूद, केंद्र सरकार का नकद शेष वर्ष भर अच्छी स्थिति में बना रहा। (चार्ट VII.2)।

विदेशी केंद्रीय बैंक योजना के तहत निवेश

VII.31 विदेशी केंद्रीय बैंक (एफसीबी) योजना के तहत, रिजर्व बैंक द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाजार में चुनिंदा एफसीबी और



बहुपक्षीय विकास संस्थानों की ओर से भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इन संस्थानों की ओर से लेन-देन की कुल मात्रा पिछले वर्ष के ₹3,120 करोड़ की तुलना में 2021-22 के दौरान ₹3,285 करोड़ (अंकित मूल्य) थी।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.32 राज्यों को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा (दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) से बाहर करने के लिए 14 वें वित्त आयोग (एफसी) की सिफारिश के बाद, पिछले कुछ वर्षों में राज्यों की बाजार उधारी बढ़ रही है। राज्यों के जीएफडी के वित्तपोषण में बाजार उधार की हिस्सेदारी 2021-22 (बीई) में बढ़कर 85.1 प्रतिशत हो गई, जो 2020-21 (आरई) में 77.8 प्रतिशत थी।

VII.33 राज्य सरकार के वित्त पर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के बावजूद, राज्यों का सकल और निवल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में कम था। 2021-22 में राज्यों की सकल बाजार उधारी राज्य सरकारों द्वारा बाजार उधारी के लिए तिमाही संकेतक कैलेंडर में दर्शाई गई राशि का

सारणी VII.4: एसडीएल के माध्यम से राज्यों की बाजार उधारी

(राशि करोड़ में)

मर्दे	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वता	1,29,680	1,47,067	1,47,039	2,09,143
अनुच्छेद 293(3) के तहत कुल स्वीकृतियाँ	5,50,071	7,12,744	9,69,525	8,95,166
वर्ष के दौरान जुटाई गयी राशि	4,78,323	6,34,521	7,98,816	7,01,626
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	3,48,643	4,87,454	6,51,777	4,92,483
वर्ष के दौरान कुल स्वीकृतियों के लिए जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	87.0	89.0	82.4	78.4
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में) #	27,78,536	32,65,989	39,25,555	44,29,957

#: उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) और अन्य विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

78 प्रतिशत थी। 2021-22 में 608 निर्गम थे, जिनमें से 60 पुनः निर्गम थे (2020-21 में 742 निर्गम, जिनमें से 56 पुनः निर्गम थे) [सारणी VII.4]।

VII.34 2021-22 के दौरान एसडीएल जारी करने का भारित औसत अंतिम प्रतिफल (डबल्यूएवाई) पिछले वर्ष के 6.55 प्रतिशत की तुलना में 6.98 प्रतिशत अधिक था। तुलनीय केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर एसडीएल जारी करने का भारित औसत स्प्रेड (डबल्यूएएस) पिछले वर्ष के 52.72 आधार अंकों की तुलना में 2021-22 में 40.95 आधार अंकों पर कम था। 2021-22 में, इक्कीस राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने 10 वर्ष के अलावा 2 से 35 वर्ष तक की अवधि की अन्य प्रतिभूतियां जारी कीं। सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने एक या अधिक नीलामी में सभी बोलियों को खारिज कर दिया। 2020-21 में 10 आधार अंकों की तुलना में 2021-22 में 10-वर्ष की अवधि (ताजा निर्गम) की प्रतिभूतियों पर औसत अंतर-राज्य स्प्रेड 4 आधार अंक था।

राज्य सरकारों का नकद प्रबंधन

VII.35 राज्य सरकारों को कोविड-19 रोकथाम और शमन उपायों को शुरू करने में अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए, और राज्यों को अपने बाजार उधार की योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए, एक अंतरिम उपाय के रूप में, रिजर्व बैंक ने 31

मार्च, 2020 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की डबल्यूएमए सीमा में 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की घोषणा की थी, और जो 31 मार्च, 2021 तक वैध रहा। राज्य सरकारों (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) को डबल्यूएमए के लिए सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर, 2021 और बाद में डबल्यूएमए की अंतरिम सीमा (सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹ 51,560 करोड़) को बनाए रखने का निर्णय लिया। और इसे 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया। ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजना में छूटें भी रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों को दिनों की संख्या में वृद्धि करके बेमेल नकदी प्रवाह से निपटने के लिए दी गई थी, जिसके लिए एक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश ओडी में लगातार 14 कार्य दिवसों से 21 कार्य दिवसों में और एक तिमाही में 36 कार्य दिवसों से 50 कार्य दिवसों तक रह सकते हैं, जो 31 मार्च, 2022 तक वैध है। सत्रह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)⁴ का लाभ उठाया, चौदह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने डबल्यूएमए का सहारा लिया और नौ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 2021-22 में ओडी का लाभ उठाया।

VII.36 वर्षों से, राज्य मध्यवर्ती खजाना बिल (आईटीबी) के रूप में एक बड़ा नकद अधिशेष जमा कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान आईटीबी और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) में राज्यों

⁴ एसडीएफ पर स्पष्टीकरण के लिए कृपया पैराग्राफ VII.37 देखें।

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश

(₹ करोड़)

मद	31 मार्च तक बकाया				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	1,50,871	1,22,084	1,54,757	2,05,230	2,16,272
एटीबी	62,108	73,927	33,504	41,293	87,400
कुल	2,12,979	1,96,011	1,88,261	2,46,523	3,03,672

स्रोत: आरबीआई

के बकाया निवेश में वृद्धि हुई [सारणी VII.5]।

समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ)/गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश

VII.37 रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की ओर से दो आरक्षित निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है - समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)। अब तक 24 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी पुडुचेरी ने सीएसएफ की स्थापना की है। वर्तमान में 18 राज्य जीआरएफ के सदस्य हैं। राज्य सीएसएफ और जीआरएफ में अपने वृद्धिशील वार्षिक निवेश के बदले में रिजर्व बैंक से रियायती दर पर एसडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। मार्च 2022 के अंत तक सीएसएफ और जीआरएफ में राज्यों द्वारा बकाया का निवेश क्रमशः ₹1,54,255 करोड़ और ₹9,399 करोड़ था, जबकि मार्च 2021 के अंत में ₹1,27,208 करोड़ और ₹8,405 करोड़ था।

3. 2022-23 के लिए कार्यसूची

VII.38 केंद्रीय बजट 2022-23 में, 2022-23 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधारी का बजट 2021-22 (आरई) में ₹10,46,500 करोड़ की तुलना में ₹14,95,000 करोड़ है। केंद्रीय बजट 2022-23 से ठीक पहले किए गए स्विच ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वर्ष 2022-23 में परिपक्व होने वाली ₹ 63,648 करोड़ की प्रतिभूतियों को स्विच किया गया था, वर्ष के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधार ₹ 14,31,352 करोड़ पर संशोधित किया गया है। निवल बाजार उधार

(अल्पकालिक ऋण और पोस्ट ऑफिस जीवन बीमा कोष के पुनर्भुगतान सहित) का बजट ₹11,58,719 करोड़ पर और वित्तपोषण 2022-23 में जीएफडी के 69.75 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया।

VII.39 वर्ष 2022-23 के दौरान, बाजार उधार कार्यक्रम के सुचारू संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऋण प्रबंधन के कुशल संचालन के समर्थन में निम्नलिखित कार्यनीतिक लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है:

- सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में चलनिधि बढ़ाने और नए निर्गमों की सुविधा के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम के साथ-साथ कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच और वापसी-खरीद संचालन के माध्यम से ऋण का समेकन;
- पीडी के लिए 2005 में जारी समेकित परिचालन दिशानिर्देश समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं। बुनियादी पात्रता मानदंड, अर्थात् निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता और लक्ष्य से संबंधित दिशानिर्देश, हालांकि, काफी हद तक अपरिवर्तित रहे। पीडी के लिए मौजूदा परिचालन दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव है;
- 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना' को और लोकप्रिय बनाने के लिए और देश भर में उपयुक्त खुदरा निवेशकों तक इसकी पहुंच में सुधार के लिए उचित उपाय करना; (उत्कर्ष)
- माननीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2022 को अपने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में घरेलू बाजार में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करेगी और इससे प्राप्त राशि को सार्वजनिक क्षेत्र की हरित परियोजनाओं में लगाया जाएगा। तदनुसार, रिजर्व बैंक, भारत सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत

सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। प्रारंभिक कार्य पूरा होने के बाद वर्ष के दौरान सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे;

- मध्यम से लंबी अवधि में कम लागत पर जोखिम के विवेकपूर्ण स्तरों और एक स्थिर ऋण संरचना के साथ बाजार उधार जुटाने के, साथ ही पर्याप्त चलनिधि और अच्छी तरह से काम कर रहे घरेलू ऋण बाजार का विकास करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के लिए मध्यम अवधि के ऋण प्रबंधन कार्यनीति (एमटीडीएस) की समीक्षा,
- सामान्य सरकारी ऋण का लगभग एक तिहाई उप-राष्ट्रीय सरकारों से संबंधित है। हालांकि, उप-राष्ट्रीय सरकार स्तर पर कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए ऋण प्रबंधन की रणनीति को रेखांकित करने वाले एक दस्तावेज की कमी है। इसलिए, कुछ राज्यों के लिए एक पायलट एमटीडीएस का मसौदा तैयार करने का प्रस्ताव है, जो बाधाओं और संभावित जोखिमों को

ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों की गतिविधियों के वित्तपोषण की योजना को दर्शाता है; (उत्कर्ष)

- नकदी और ऋण प्रबंधन में विवेकपूर्ण प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

4. निष्कर्ष

VII.40 2021-22 के दौरान, केंद्र और राज्यों के संयुक्त सकल बाजार उधार का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं के मद्देनजर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वित्त पर दबाव का प्रबंधन करने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की। आगे बढ़ते हुए, वर्ष 2022-23 के लिए रिजर्व बैंक के ध्यान केंद्रण के प्रमुख क्षेत्रों में स्थिर ऋण संरचना सुनिश्चित करते हुए और यदि आवश्यक हो उचित नीतिगत कार्रवाई करते हुए, ऋण प्रबंधन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करना होगा।